न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/03/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/2

अपीलार्थी
श्री संदीप कुमार जैमन,
डी–81, इन्दिरा कॉलोनी, दौसा (राज.)–303303

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 04.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.02.2023

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 26.11.2022 के द्वारा राजस्व ग्राम–टहला, राजडोली, रूपबास, लोसल व तालाब अंतर्गत आनेवाली सरकारी भूमि के गैर खातेदार को किए गए आवंटन, आवंटन के संबंध में नियम, भूमि की किस्म बदलने के नियम, प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता संबंधी इत्यादि कुल 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. सू.अ./2023/83 दिनांकः 17.01.2023 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 26.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत होने उपरान्त, उनके पत्रांकः 15 दिनांकः 04.01.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है जो उचित नहीं है।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उक्तानुसार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि भविष्य मे अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में ही सूचना आवेदनों पर विनिश्चय किया जावे।
9. आज दिनांकः 28.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)